डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2019 / 578 दिनांक : 29–06–2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवदीय कालेज आफ लॉ,
सोहावल, अयोध्या।

विषयः महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में छात्र / छात्राओं के प्रवेश प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में अवस्थापना एवं शिक्षक अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्रों के माध्यम से (विश्वविद्यालय की बेवसाइट द्वारा) समस्त महाविद्यालयों को दिनॉक 30 जून, 2019 तक शिक्षक अनुमोदित कराये जाने के निर्देश दिये गये थें, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नही किया गया, अर्थात संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित नही कराये गये हैं।

अतः आपके महाविद्यालय में संचालित पाठयक्रम / पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर आनलाइन सत्यापित न होने के दृष्टिगत आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है। **यदि उक्त मानक पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो महाविद्यालय के विरूद्व उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) के अन्तर्गत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आगामी सत्र (जुलाई, 2020) से सम्बद्धता वापस ले ली जायेगी।**

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

837